भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

आतारंकित प्रश्न सं. 1377

उत्तर देने की तारीख 25.11.2019

विदेशी विद्यार्थी

†**1377. श्री ए. के. पी. चिनराजः**
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न देशों से नामांकित विदेशी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इन विदेशी विद्यार्थियों को वीजा देने के लिए कोई मानदंड बनाए है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि किन घरेलू संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में विदेशी विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों की उच्चतम आवक रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और भविष्य में ऐसे सर्वेक्षण किए जाने की क्या संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार ने इन संस्थाओं/विश्व-विद्यालयों का मानक उन्नयन करने और विदेशी विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम में नामांकित करने हेतु संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) (वास्तविक प्रतिक्रियाओं पर आधारित) के अनुसार विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन हेतु नामांकित विदेशी छात्रों का वर्ष-वार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

वर्ष	विदेशी छात्रों की कुल संख्या
2015-16	45424
2016-17	47575
2017-18	46144
2018-19	47427

(ख) : सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग): भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) ने एक आकेजनल पेपर 'भारत में उच्चतर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण-भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का वार्षिक सर्वेक्षण 2014-15' प्रकाशित किया है जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय संघ की संदस्य संस्थाओं के संबंध में भारत में पढने वाले विदेशी छात्रों का विश्वविद्यालय-वार विवरण उपलब्ध है। यह विवरण https://aiu.ac.in/documents/international/AIU_International_Students_2017.pdf. पर उपलब्ध है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

(ड): भारत सरकार ने ब्रांड निर्माण, सोशल मीडिया अभियानों इत्यादि के जरिए भारत को उच्चतर शिक्षा का एक पंसदीदा स्थान/हब बनाने और भारत में आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में वृद्धि के उद्देश्य के साथ वर्ष 2018 में स्टडी इन इंडिया नामक एक फ्लैगशिप योजना की शुरूआत की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, संस्थानों/विश्वविद्यालयों को उनके पाठ्यक्रमों में अधिक विदेशी छात्रों का नामांकन करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित घटकों की शुरूआत की गई है:

I. शुरूआती चरण में ब्रांडिंग हेतु 30+ लक्षित देशों की पहचान करना
II. राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा प्रदान की गई ग्रेडिंग (3.26 +) के आधार पर साझेदार संस्थाओं का चयन और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के तहत रैंकिंग
III. समर्पित वेब पोर्टल www.studyindia.gov.in का सृजन
IV. कॉल सेंटर सहायता स्थापित करना
V. एक मोबाइल एप्प शुरू करने के लिए प्रारंभिक कार्य
VI. व्यवस्थित ढंग से ब्रांडिंग
VII. सोशल मीडिया और ऑफलाइन विज्ञापन अभियान आयोजित करना
VIII. 100% से 25% तक फीस माफी
IX. चैम्पियन सर्विस सेक्टर योजना के माध्यम से मेधावी छात्रों को पर्याप्त छात्रवृत्तियां
X. लक्षित देशों में इवेंट मैनेजमेंट का आयोजन
XI. वेबिनारों का आयोजन
XII. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के छात्रावास स्थापित करना

इसके अलावा, विदेशी छात्रों के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में 10% अधिसंख्यक सीटें और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) में 15% सीटों की व्यवस्था है। एनआईटी में विदेशी छात्रों को प्रत्यक्ष दाखिला योजना (डीएएसए) के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संस्थानों/विश्वविद्यालयों में इनके पाठ्यक्रमों में अधिक संख्या में विदेशी छात्रों के नामाकंन हेतु इन संस्थानों/विश्वविद्यालयों को मानकों के उन्नयन हेतु प्रोत्साहित करता है। केन्द्र सरकार और यूजीसी विभिन्न पहलों के माध्यम से उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं ताकि विदेशी छात्रों को भारत में अध्ययन हेतु स्वत: आकर्षित किया जा सके। यूजीसी विनियम तैयार और अधिसूचित करके, योजनाओं और पात्र

संस्थाओं को अनुदान वितरित करने के माध्यम से विश्वविद्यालयों, समविश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षण, अनुसंधान और गुणवत्ता आश्वासन के मानकों का अनुरक्षण करता है। यूजीसी ने शैक्षणिक सुधारों को करने और उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और उसे बनाए रखने के मद्देनजर विभिन्न विनियम अधिसूचित किए हैं।

इसके अलावा, भारतीय विद्यार्थियों को देश के भीतर ही विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की हालिया और सबसे महत्वपूर्ण पहल शैक्षिक संस्थाओं को उत्कृष्ट संस्थाओं (आईओई) के रूप में घोषित करना है। 'उत्कृष्ट संस्थाओं'के दर्जे के लिए बीस संस्थाओं के नाम की सिफारिश की गई है। उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने और उन्हें विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थाएं बनने में उनकी सहायता करने के लिए आईओई योजना की शुरूआत की गई है। यह आशा की जाती है कि उपरोक्त चयनित संस्थाएं आने वाले दस वर्षों में विश्व रैंकिंग में शीर्ष 500 और अंतत: विश्व रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल होंगी। शीर्ष विश्व स्तरीय रैंकिंग प्राप्त करने के लिए, इन संस्थाओं को व्यापक स्वायत्ता दी जाएगी जैसे दाखिला प्राप्त विद्यार्थियों के लगभग 30% तक विदेशी छात्रों को प्रवेश; संकाय क्षमता के 25% तक विदेशी संकाय की भर्ती, इसके 20% कार्यक्रमों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति के बिना शीर्ष 500 विश्व रैंकिंग संस्थाओं के साथ शैक्षणिक सहयोग; बिना किसी बाधा के विदेशी छात्रों की फीस का निर्धारण और फीस वसूलने की स्वतंत्रता; क्रेडिट अवधि और डिग्री प्राप्त करने के वर्षों की संख्या के संबंध में लचीली पाठ्यक्रम संरचना; पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम इत्यादि के निर्धारण में पूर्ण लचीलापन प्रदान किया जाना। आईओई के रूप में प्रस्तावित निजी संस्थाओं के संबंध में, चूंकि कोई वित्तीय सहायता नहीं होगी, ये संस्थाएं सम विश्वविद्यालय विशेष श्रेणी के रूप में अधिक स्वायत्तता प्राप्त करने की हकदार होंगी।

*****